

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कोठिया तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या - 62/2021

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 कमला पत्नि जगदीश जाट उम्र वयस्क निवासी खेडापालोला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा \_\_\_\_\_ (प्रार्थी)

वनाम

- 1 सरदार सिंह पिता शत्रूसिंह चौधरी उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 2 निजामुद्दीन पिता अल्लादीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 लादू पिता कल्याण रेगर उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 4 गीता पत्नि कैलाश चन्द्र जाट उम्र वयस्क निवासी खेडापालोला तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 5 पारसी पत्नि प्रहलाद जाट उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 6 रूकमा पत्नि रामकिशन जाट उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 7 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

\_\_\_\_\_ (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्रीमती मदीना बानू


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 09.11.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 28.06.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 888 के आ.न. 3085/4016, 3086/4017 किता 2 रकबा 0.76 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 28.06.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये।

  
सहायक जलस्तर  
उपखण्ड अधिकारी  
फुलियाकलां (मो.ब.)



इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कोठिया दिनांक 09.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

### आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठिया पटवार गण्डल कोठिया भू अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 888 के आ.न. 3085/4016, 3086/4017 किता 2 रकबा 0.76 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि वावत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कोठिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साजकेश शीना)  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला  
रूप खण्ड अधिकारी  
जिला भीलवाड़ा  
फुलिया कला (मौब.)

प्रतिलिपि-

- 1 तहसीलदार फुलियाकला को पालनार्थ प्रेषित है।

(साजकेश शीना)  
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला  
रूप जिला भीलवाड़ा  
फुलिया कला (मौब.)